FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत––जिला कलक्टर मुकाम : दौसा

कजोड **बनाम घासीलाल आदि**

किस्म मुकदमा–नामान्तरण अपील नम्बर–––24 –सन्– 2013

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.6.2025	अधिवक्ता अपीलांट उपस्थित। अधिवक्ता रेस्पों0 सं0 1 से 04 उपस्थित। राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता रेस्पों0 (प्रार्थीगण प्रारंभिक आपत्तिकर्ता) की प्रार्थना पत्र प्रारंभिक आपत्ति अंतर्गत धारा 151 सी0पी0सी0 पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की दिनांक 2.6.2025 पर सुनी गई बहस पर मनन किया गया। अधिवक्ता रेस्पों0 सं0 1 से 4 ने कथन किया कि अपीलांट कजोड जो कि गंगल्या पुत्र भोंरया का पुत्र था, द्वारा अपने आपको गोविन्दा का पुत्र बताते हुए उसकी विरासत का नामान्तरण हम प्रार्थीगण जो कि गोविंदा के ओरस वारिसान है के स्थान पर विवादित नामान्तरण अपने नाम पोशीदा रूप से खुलवा लिया गया जिसकी जानकारी होते ही हम प्रार्थीगण के द्वारा अपील सक्षम न्यायालय में उनवानी घासीलाल बनाम कजोड अपील सं0 79/2008 प्रस्तुत की गई। हम प्रार्थीगण की उक्त अपील न्यायालय मान्य द्वारा दिनांक 31.7.2008 को स्वीकार फरमाई जाकर विवादित नामान्तरण निरस्त फरमाया जाकर उक्त प्रकरण तहसीलदार दौसा को दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देते हुए विधिवत जांच कर पुनः विरासत का नामान्तरण तस्दीक किये जाने बाबत प्रतिप्रेषित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार को आदेशित किया गया कि वे उक्त प्रकरण का 60 दिवस में विधिसम्मत तरीके से निर्णित करें। न्यायालय मान्य के उक्त निर्णय व आदेश की पालना में तहसीलदार दौसा के द्वारा उक्त प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को सुनवाई का नोटिस प्रेषित किये गये जिस पर अपीलांर्थी की विधिवत तामील होने कगे उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित न होने के फलस्वरूप उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए उक्त नामान्तरण में गोविंदा के विधिक वारिसान हम प्रार्थीगण के नाम खुले जाने बाबत अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जिसके विरूद्ध उक्त अपील अपीलार्थी कजोड द्वारा गलत तरीके से माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। तहसीलदार दौसा का उक्त आदेश जो कि माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 31.7.2008 की पालना में रिमांड किया गया था जिस पर तहसीलदार दौसा ने उक्त प्रकरण घासी बनाम कजोड प्रकरण सं0 8/2012 पर दर्ज कर विधिसम्मत निर्णय दिनांक 13.7.2012 को पारित किया गया है जो कि विवादित एवं कंटेस्टेड निर्णय की तारीफ में आता है। ऐसी दशा में उक्त आदेश के विरूद्ध अपील राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की 135 (2) के तहत अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर को पोषणीय है। माननीय न्यायालय को उक्त अपील को सुनने का कानूनन क्षेत्राधिकार नहीं है। ऐसी दशा में उक्त अपील प्रारंभिक रूप से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र प्रारंभिक आपत्ति स्वीकार फरमाई जाकर उक्त अपील का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को नहीं होने से प्रारंभिक रूप से निरस्त फरमाई जावे। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अपीलांट अधीनस्थ तहसीलदार दौसा के समक्ष उपस्थित नहीं हुए थे। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा के द्वारा अपीलांट के नाम नोटिस कजोड पुत्र गंगल्या के नाम से जारी किया गया था। अपीलांट की कोई तामील नहीं कराई गई है। माननीय न्यायालय को उक्त अपील को श्रवणाधिकार है। प्रस्तुत प्रारंभिक आपत्ति खारिज फरमाई जावे। हमने उपस्थित अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। न्यायालय जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित	

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:49:45 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांक 31.7.2008 उनवानी घासीलाल बनाम कजोड आदि में पारित निर्णय का अवलोकन किया गया जिसमें अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरण सं0 49/1 को निरस्त किया जाकर तहसीलदार दौसा को इस आशय से रिमांड किया गया है कि उभयपक्ष को सुनकर रिकार्ड को मध्यनजर रखकर 60 दिवस में विधिसम्मत निर्णय पारित करे। तदुपरांत तहसीलदार दौसा के द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। जिसमें अप्रार्थी कजोड बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आया। हम अधिवक्ता अप्रार्थी के इस कथन से सहमत हैं कि तहसीलदार दौसा द्वारा उक्त प्रकरण दर्ज कर विधिसम्मत निर्णय दिनांक 13.7.2012 को पारित किया गया है जो कि विवादित एवं कंटेस्टेड निर्णय की तारीफ में आता है। विचाराधीन अपील को अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में श्रवणाणिकार नहीं होने से हम अपील न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर को स्थानान्तरित किया जाना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर विचाराधीन अपील को माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग, जयपुर को स्थानान्तरित की जाती है। पक्षकारान दिनांक 09.7.2025 को न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर के समक्ष उपस्थित होवें। पत्रावली इस न्यायालय से फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

DW

जिला कलक्टर
दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:49:45 IST
Reason: SelfAttested